प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days "Art of Supervision of investigation for senior officers"
दिनांक 27-04-2026 से 01-05-2026

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 27-04-2026 से 01-05-2026 तक **"Art of Supervision of investigation for senior officers"** विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल कक्ष में कोर्स का शुभारम्भ श्री संजीब कुमार नार्जारी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक श्री पूनम चन्द विश्नोई, सहायक निदेशक (एसआईसी) आरपीए जयपुर के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 28 प्रतिभागियों जिसमें 01 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 01 उप अधीक्षक पुलिस, 11 पुलिस निरीक्षक, एवं 15 पुलिस उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम सत्र में श्री हरी प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत आई.जी.पी. ने पर्यवेक्षण की कला पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री गिरधारी लाल शर्मा, सेवानिवृत आई.जी.पी. ने केस डायरी द्वारा पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण नोट की तैयारी के बारे में व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री शंकर दत्त शर्मा, अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस एवं अति0 निदेशक, आरपीए, जयपुर ने पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा नेतृत्व और प्रेरणा के बारे में विस्तार से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों की जांच से संबंधित कानूनी प्रावधान. नवीनतम संशोधन के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री महेन्द्र सारण, एडीपी, आरपीए, जयपुर ने सम्पती संबंधी अपराधों की निगरानी के बारे मे विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री आर.एस. शर्मा, सेवानिवृत अति. निदेशक, एफएसएल ने विशेषज्ञ राय प्राप्त करने में फोरेंसिक विज्ञान और पर्यवेक्षण की भूमिका पर व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र मे श्री मनीष शर्मा, आरपीएस, एटीएस, जयपुर ने जाँच के एक उपकरण के रूप में आईपीडीआर विश्लेषण पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक, कंप्यूटर प्रभाग एफएसएल जयपुर ने साइबर अपराध मामलों में डिजिटल साक्ष्य को संभालने की एसओपी पर विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री रमेश चैधरी एडीपी, आरपीए जयपुर ने साइबर अपराध जाँच की निगरानी पर व्याख्यान दिया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र मे श्री विकास शर्मा, डीआईजीपी, कार्मिक, जयपुर ने प्रथम सत्र में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों का पर्यवेक्षण य आईपीसी (अध्याय.16) पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्री हेमन्त कुमार शर्मा, आईजीपी, एससीआरबी, जयपुर ने जाँच में एआई का उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री अनिल सैनी, आईटी विशेषज्ञ एवं मास्टर ट्रेनर सीसीटीएनएस ने पर्यवेक्षण के उपकरण के रूप में सीसीटीएनएस, डैशबोर्ड, आईसीजेएस का उपयोग पर व्याख्यान दिया।

पंचम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री गिरवर सिंह, सेवानिवृत आरएएस द्वारा भूमि विवाद मामलों का पर्यवेक्षण की भूमिका पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री रमेश चैधरी एडीपी, आरपीए जयपुर ने बरी किये जाने के कारण और सामान्य गलतियों से बचने के सुझाव के बारे में एवं संपत्ति अपराधों का पर्यवेक्षण पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री रमेश चैधरी पीओ आरपीए जयपुर ने कोर्स के समापन में श्री अनिल पालीवाल, महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण एवं यातायात, राजस्थान, जयपुर ने कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

विशेषः- उक्त कोर्स में शामिल प्रशिक्षणार्थियों में कुल 28 उपस्थित हुए 01 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 01 उप अधीक्षक पुलिस, 11 पुलिस निरीक्षक, एवं 15 पुलिस उप निरीक्षक पद के अधिकारी है, जिनमें अधिकत्तर पुलिस लाईन में पदस्थापित है। अतः आगामी कोर्स में थानाधिकारी एवं उच्चाधिकारियों को ही नामित करवाया जाये ताकि आर्ट आॅफ सुपरवीजन कोर्स की सार्थकता परिलक्षित हो सकें।

कोर्स निदेशक,
आरपीए, जयपुर।